कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉंची–834002
ई–मेलः– cf-ranchi@ gov.in फोन0ः–(0651)–2481814 मो0ः–8987790111

पत्रांकः– 283 दिनांकः– 21/02/23

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
रॉंची।

विषय :– **भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एन0एच0 320 एवं 320बी(जैनामोड़–गोला–ओरमांझी खण्ड) के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण में रॉंची जिला अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकवा– 4.2557 हे0 के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची का पत्रांक–94 दिनांक–17.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची वन प्रमण्डल, रांची ने अपने कार्यालय पत्रांक 618 दिनांक 17.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रासंगिक पत्र द्वारा वांछित कुल पॉंच बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिन्दु सं0 1 से 4 तक का प्रतिवेदन रॉंची वन प्रमण्डल से संबंधित नही है एवं बिन्दु सं0 5 का अनुपालन में KML File में वनभूमि एवं गैर–वनभूमि दोनों का रकबा को दर्शाते हुए KML File अपलोड करते हुए CD की छः(6) प्रतियॉं इस कार्यालय में समर्पित की गई है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0ः– यथोक्त(CD 6 प्रतियों में)

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, रांची।

O/c

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, रांची- 834002 (झारखंड)
E-mail : dfo-ranchi@.gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386

पत्रांक 618 **दिनांक** 17.02.2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, रांची

विषयः भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एन०एच० 320 एवं 320 बी (जैनामोड़–गोला–ओरमांझी सेक्शन) के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण में राँची जिला अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा 4.2557 हे० के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची का पत्रांक 94 दिनांक– 02.02.2023

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण में अपने पत्रांक 1400 दिनांक 09.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कुल 5 बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जिसमें बिन्दु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 4 तक का प्रतिवेदन इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। बिन्दु संख्या 5 का अनुपालन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण ने के०एम०एल० फाईल में वनभूमि एवं गैर वनभूमि दोनों के रकबा को दर्शाते हुए के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन अपलोड करते हुए के०एम०एल० फाईल की सी०डी० भी समर्पित किया है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रेतर कर्रवाई करने की कृपा की जाये।

अनु0:–यथोक्त।
के०एम०एल० की सी०डी० 7 प्रति में।

विश्वासभाजन

17/02/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रांची वन प्रमंडल, रांची

कार्यालय वन संरक्षक
क्रमांक 340
दिनांक 20/02/23
प्रादेशिक अंचल, झारखण्ड, राँची

Abhishek

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एन.एच.ए.आई.

कॉम्प्लेक्स, कान्ड्रा, पोस्ट भीतीया, थाना गोविन्दपुर, धनबाद-८२८१०९ (झारखण्ड)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Office of the Project Director, Project Implementation Unit, NHAI Complex

Kandra, P.O. Bhitia, P.S. Govindpur, Dhanbad-828109 (Jharkhand)

Ph. : 06540-283090, E-mail : dhan@nhai.org / nhaidhanbad@yahoo.in

पत्रांक – 11015 / 5 / पीडी / डीएचएन / FCL/ NH-320/ 1400 फरवरी, 09 2023

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रॉची वन प्रमण्डल, रॉची।

विषयः भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एन0एच0 320 एवं 320बी (जैनामोड़–गोला–ओरमांझी सेक्शन) के चौड़ीकरण / चार लेन के निर्माण में रॉची जिला अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकवा 4.2557 हे0 के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान मुख्य वन सरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बार्ड, रॉची का पत्रांक सं0 94 दिनांक 02.02.2023.

महाशय,

उक्त प्रसंग का अवलोकन किया जाए जिसके माध्यम से प्रधान मुख्य वन सरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बार्ड, झारखण्ड, रॉची के द्वारा वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां / कमियां बतायी गयी है। जिसमें से आपके क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाली अनुपालन विन्दुवार निम्न है :–

क्र0 सं0	विन्दुओं की विवरणी	अनुपालन प्रतिवेदन
1	बोकारो वन प्रमंडल में कुल 59.6084 हे0 जंगल–झाड़ उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 2709 / (रा) दिनांक 10.10.2022 द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को अग्रसारित किया गया है परन्तु आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है।	आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी को पत्रांक सं0 1398 दिनांक 09.02.2023 से समर्पित किया गया है।
2	उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक 1439 / क0, 1440 / क0 दिनांक 22.10.2022 एवं पत्रांक 1447 / क0 दिनांक 28.10.2022 द्वारा निर्गत FRA प्रमाण–पत्र प्राप्त है साथ ही इस क्रम में आमसभा / ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है। परन्तु, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 28.9869 हे0 वन भूमि हेतु FRA प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है।	अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में रामगढ़ वन प्रमंडल पदाधिकारी को पत्रांक सं0 1399 दिनांक 09.02.2023 से समर्पित किया गया है।
3	उपायुक्त, बोकारो से FRA प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं है इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गयी है।	अनुपालन प्रतिवेदन बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी को पत्रांक सं0 1398 दिनांक 09.02.2023 से समर्पित किया गया है।
4	भारत सरकार, द्वारा निर्धारित प्रपत्र Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा अभियुक्ति दर्ज करते हुए प्रतिहस्ताक्षरित कर Website अपलोड नहीं किया गया है।	Not pertain to this office.
5	प्रयाक्ता अभिकरण द्वारा मात्र वनभूमि का ही KML file अपलोड़ किया गया है। गैर–वनभूमि	वन भूमि एवं गैर–वन भूमि हेतु KML file पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

	का KML file अपलोड नहीं किया गया है जबकि इस परियोजना हेतु प्रस्तावित संपूर्ण वनभूमि एवं गैर–वन भूमि का KML file अपलोड किया जाना आवश्यक है।	

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

Sudhir Kumar

(Sudhir Kumar) 9/2/23

Project Director

प्रतिलिपि –

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल रॉची – को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Sudhir Kumar)

Project Director